मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी
M.P. STATE HAJ COMMITTEE
मध्य प्रदेश शासन

(भारत सरकार के हज अधिनियम 2002 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

Web Site : www.mphajcommittee.com, e-mail : mpshcbhopal@yahoo.in
Haj House, Gram Singarcholi, Behind Gulmohar Gardan, Airport Road, Bhopal-462036 (M.P.)
PH:-0755-2530139 , FAX :- 0755-2538039

REF:MPSHC/37/2023/1203 **DATE :** 31.03.2023

प्रति,

जनसम्पर्क आयुक्त,
मध्य प्रदेश,
भोपाल।

विषयः– हज–2023 में जाने वाले हज यात्रियों के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट के संबंध में निम्न प्रेस विज्ञप्ति भेजी जा रही है जिसे राज्य के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के समस्त केन्द्रों से प्रसारित कराने बाबत्।

प्रेस विज्ञप्ति

हज कमेटी ऑफ इंडिया से प्राप्त जानकारी अनुसार हज–2023 के हज यात्रियों के लिए तैयार किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक Provisional (अनंतिम) रूप से चयनित हज यात्रियों को चिकित्सा जांच और फिटनेस प्रमाणपत्र के संशोधित निर्धारित प्रारूप को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा परीक्षा से गुजरना आवश्यक है। हज–2023 के हज यात्रियों द्वारा भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोफार्मा का उपयोग किया जाना आवश्यक है। जो कि हज कमेटी की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

सभी Provisional (अनंतिम) रूप से चयनित हज यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उक्त प्रोफार्मा को डाउनलोड करें और अपने संबंधित States (प्रदेशों)/UTs (केन्द्र शासित प्रदेशों) में सरकारी एलोपैथिक डॉक्टरों से चिकित्सा जांच कराएं। सरकारी एलोपैथिक डॉक्टर संभावित हजयात्री की जांच करेंगे, टिप्पणियों को रिकॉर्ड करेंगे और तदानुसार मेडिकल स्क्रीन और फिटनेस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और मुहर लगाएंगे।

अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के दूरभाष क्रमांक 0755–2530139 पर संपर्क किया जा सकता हैं।

(सैयद शाकिर अली जाफरी)
सचिव
मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी

Scanned with OKEN Scanner